

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

- (1) प्रकरण संख्या: 19/2017  
(2) दायरा दिनांक: 05.9.2017

सायल

स्टेट जरिये जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही

बनाम

गैरसायल

देवाराम पुत्र गमनाराम जी, जाति- कोली, निवासी- होलागरा, हाल-पामेरा, पुलिस थाना-  
अनादरा, जिला- सिरोही

“इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975”

उपस्थिति:

1. सहायक लोक अभियोजक
2. गैरसायल एवं गैरसायल के अधिवक्ता श्री पदमाराम

-: निर्णय :-

दिनांक 06 मार्च, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। जिला पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल देवाराम पुत्र गमनाराम जी, जाति- कोली, निवासी- होलागरा, हाल- पामेरा के विरुद्ध यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा- 3 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश एवं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है जो शराब का अवैध कारोबार कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाडा करता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बावजूद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल के अवैध शराब के कारोबार से आम लोगों, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय-समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने को तैयार नहीं होता है। गैरसायल के पूर्व में मुखबीर ईतला पर अवैध शराब परिवहन करता पाये जाने पर धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत 3 प्रकरण दर्ज हुये एवं इन तीनों प्रकरणों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए जुर्माने/सजा से दण्डित किया है। उसके बावजूद भी गैरसायल अवैध शराब के कारोबार करने से बाज नहीं आ रहा है। गैरसायल के ऐसे कार्यकलापों से लोक व्यवस्था, जवानों एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। गैरसायल अवैध शराब के कारोबार में लिप्त है एवं गैरसायल से आम जन में भय व्याप्त है व गैरसायल के भय से लोग पुलिस को सूचना देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध कानूनी सलूक फरमाकर जिले से निष्कासित किया जावे।

(2) प्रस्तुत इस्तगासे पर गैरसायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया एवं नोटिस के साथ गैरसायल पर लगाये गये आरोपों की प्रति भी तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 06.10.2017 को

.....पेज दो पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरोही-307001.



गैरसायल इस न्यायालय में उपस्थित हुआ एवं गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री पदमाराम उपस्थित हुये। गैरसायल ने दिनांक 06.10.2017 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनवीक्षा चाही। तत्पश्चात् प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 06.3.2018 को गैरसायल ने इस न्यायालय में जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में गैरसायल द्वारा जुर्म/आरोप स्वीकार कर लिये जाने से सहायक लोक अभियोजक एवं गैरसायल के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक ने बहस के दौरान इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत पुलिस थाना अनादरा में 3 प्रकरण दर्ज हुये जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये एवं इन तीनों प्रकरणों में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया गया है। गैरसायल आले दर्जे का बदमाश है एवं अवैध शराब विक्रय करने के कारोबार में लिप्त है। गैरसायल द्वारा अवैध शराब का कारोबार करने से आमजन व बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है, इसकी ऐसी आपराधिक गतिविधियों के कारण आम जन में भय व्याप्त है तथा लोग इसके विरुद्ध साक्ष्य देने से कतराते हैं, इसलिये गैरसायल की इन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है, जो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं है। गैरसायल ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज उक्त मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध शांति भंग करने, मारपीट करने, लोगों को धमकाने आदि कोई मुकदमे दर्ज नहीं हुये हैं, केवल गैरसायल के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत ही उक्त तीन मुकदमे ही दर्ज हुये हैं जिनमें गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध आरोप गंभीर प्रकृति के नहीं हैं। गैरसायल विगत 1 वर्ष 3 माह से किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध यह कार्यवाही ड्रॉप की जावे।


(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार गैरसायल देवाराम पुत्र गमनाराम जी, जाति- कोली, निवासी- होलागरा, हाल- पामेरा के विरुद्ध पुलिस थाना, अनादरा में राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 19/54 के तहत मुकदमा संख्या 26/30.3.2001, 43/04.4.2016 एवं 139/10.10.2016 को दर्ज हुये जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध हैं। धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के तहत गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त तीनों मुकदमों में बाद तफतीश गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, इन आरोप पत्रों की प्रतियां .....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.



भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उक्त मुकदमा 26/30.3.2001, 43/04.4.2016 एवं 139/10.10.2016 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 20.4.2004, 10.11.20016 व 31.1.2017 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है, लेकिन गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 10.10.2016 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होने बाबत कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। गैरसायल द्वारा लोगों को धमकाने व आतंकित करने के संबंध में भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैरसायल के विरुद्ध शांतिभंग करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई हो, ऐसी भी साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए गैरसायल देवाराम पुत्र गमनाराम जी, जाति- कोली, निवासी- होलागरा, हाल- पामेरा को छः माह की अवधि के लिये नेकचलनी व शांति बनाये रखने हेतु पाबन्द कर आदेशित किया जाता है कि गैरसायल एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा गैरसायल भविष्य में कोई आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निर्बन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत रुपये पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(आशाराम डूडी)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
सिरौही

06-03-18